

7/6/17

पत्रावली लोक अदालत कोर्ट के मुख्य जानपालिका में वेब डूई,
चूंकि मूल आवेदन में पार्सी वकील द्वारा Not -press किया
गया है। जिससे मूल आवेदन खारिज हो चुका है। अतः स्थगन
के इस आवेदन को आगे चलाने का कोई को चिन्थ नहीं रहा। अतः
न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश डि: 4/7/16 को इसी
स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल सुधार हो
शामिल अफर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन